महत्वपूर्ण एवं खास

हाटी में व्यक्ति की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या, छाल पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा रिमाण्ड पर

रायगढ़। थाना छाल अन्तर्गत ग्राम हाटी में रहने वाला अनुज भगत पिता बीरसाय भगत उम्र 45 वर्ष अपने छोटे भाई अनिल

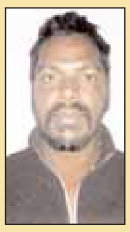

भगत (42 वर्ष) के साथ रहता था। अनुज भगत की शादी नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार का छोटा भाई अनिल भगत अपने गांव ग्राम पोंगरो (कांसाबेल) गया था, पिछले 7-8 दिन से अनुज का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने के कारण अनुज भगत गांव पोंगारो नहीं गया था। 7 दिसम्बर के रात्रि करीब 12.00 बजे अनुज भगत के साथ किसी बात को लेकर हाटी के सोनू उर्फ राजेश निषाद, अंकित दास महंत, लूका उर्फ मुकेश गोंड के साथ विवाद हो गया, तीनों ने लाठी डण्डे से अनुज भगत के साथ मारपीट किया जिससे अनुज भगत के दोनो पैर, हाथ एवं सिर में कई जगह चोटें आयी थी, रात्रि डायल 112 को सूचना मिलने पर आहत अनुज भगत को खरसिया अस्पताल में ईलाज के लिये भर्ती कराया गया था। घटना की सूचना पाकर 8 दिसम्बर को अनुज भगत का छोटा भाई खरसिया अस्पताल आकर देखा, अनुज भगत फौत हो गया था। घटना के संबंध में मृतक के भाई अनिल भगत के रिपोर्ट पर थाना छाल में आरोपीगण सोनू उर्फ राजेश निषाद पिता स्व. चमार निषाद उम्र 30 वर्ष निवासी हाटी, अंकित दास महंत पिता रविदास उम्र 18 वर्ष निवासी हाटी, लूका उर्फ मुकेश गोंड पिता चमार सिंह सिदार उम्र 30 वर्ष निवासी कुडेकेला थाना छाल के विरूद्ध अप.क्र. 217/18 धारा 302, 34 ता.हि. पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

खाखी के विवध रंग, रेंज स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जिला पुलिस बल रायगढ़ की टीम रखी विजेता

रायगढ़। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज, बिलासपुर प्रदीप गुप्ता के दिशा निर्देशन पर जिला पुलिस बल जांजगीर द्वारा 02 दिवसीय

रेंज स्तरीय वॉलीबाल प्रतियोगिता मीट अग्रसर का आयोजन गया था। 8 दिसम्बर को पुलिस लाईन जांजगीर के ग्राउण्ड में प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक कोरबा मयंक श्रीवास्तव द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में जिला बल बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, मुंगेली तथा सशस्त्र वाहिनी से 2रीं वाहिनी बिलासपुर, 6वीं वाहिनी रायगढ़, 11वीं वाहिनी जांजगीर, 13वीं वाहिनी कोरबा एवं रेडियो रायगढ़, रेडियो बिलासपुर नगर सेना जांजगीर की कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया।

चुनाव और आचार संहिता ने रोक दिए 10वीं-12 वीं के फार्म

मतगणना बाद भरवाए जाएंगे बोर्ड की परीक्षाओं के आवेदन

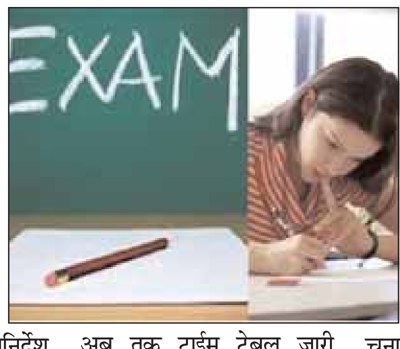

रायगढ़। विधानसभा चुनाव और उसकी आचार संहिता ने 10-12 वीं का परीक्षा फार्म रूकवा दिया है। जिले में भी अब मतगणना के बाद सभी स्कूलों में बोर्ड की परीक्षाओं के आवेदन भराए जाएंगे। इसके लिए बोर्ड ने समय पूर्व दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

सालों बाद ऐसा हुआ है कि आधा दिसंबर महीना भी गुजर जाने के बाद भी बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग की किसी तरह की तैयारी नहीं है। ना तो अब तक टाईम टेबल जारी किया गया है और ना ही अब तक हाई या हायर सेकेंडरी स्कूलों में परीक्षा फार्म भराना शुरू किया गया है, जबकि इससे पहले तक हर साल अक्टूबर के आखिर या नवंबर महीने की शुरूआत में ही 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र भरवाने का काम शुरू हो जाता था और टाइम टेबल भी जारी हो जाते थे लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस बार आवेदन पत्र भरवाने की प्रक्रिया ही शुरु नहीं की गई है। विस चुनाव के कारण अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में ही आदर्श आचार संहिता लग गई थी।

नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती कल 11 दिसंबर को होनी है। इसलिए शिक्षा विभाग यह काम नहीं कर पाया। अब माना जा रहा है कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में स्कूलों में बोर्ड परीक्षा के फार्म भरवाए जाएंगे। बोर्ड ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि इन परीक्षाओं के आवेदन पत्र संभागीय कार्यालय से दिए जाएंगे या प्राचार्य को विद्यार्थियों के रिकॉर्ड के अनुसार शालाओं में ही कम्प्यूटर से डाउनलोड करने हैं।

इस संबंध में समन्वयक संस्था को भी कोई निर्देश मंडल के अफसरों ने जारी नहीं किया है और ना ही शिक्षा विभाग के अफसर इस संबंध में कुछ बता पा रहे हैं।

फर्जी चेक थमाकर ले गया बर्तन, खरसिया पुलिस ने किया मामला दर्ज

रायगढ़। विकास अग्रवाल पिता दीन दयाल अग्रवाल की खरसिया में ज्यातिं मेटल के नाम से बर्तन की दुकान हैं। 29 दिसम्बर को विकास अग्रवाल की दुकान में दोपहर लगभग 2 बजे एक व्यक्ति जो स्वयं को हीरासिंह पिता जगत बहादुर सिंह निवासी ग्राम माधोपाली तहसील सारंगढ़ का निवासी बता रहा था, आया और एक लाख रूपये के बर्तन खरीदने की बात कहते हुए बर्तनों का कोटेशन की मांग किया जिसे विकास अग्रवाल ने कोटेशन दिया। 1 दिसम्बर की शाम लगभग 5 बजे वह व्यक्ति पुनः विकास अग्रवाल की दुकान में आया और सेन्ट्रल बैंक में लोन पास हुआ है कहते हुए लिफाफे से सप्लाई आदेश और ज्योति मेटल खरसिया के नाम का एक लाख रूपये का बैंकर्स चेक निकाल कर दिया और विकास अग्रवाल को बोला कि आप बैंक में चेक को लगा लेना, जब आपको भुगतान प्राप्त हो जाये तो उक्त रकम का बर्तन ले जाऊंगा। अभी मुझे कुछ बर्तनों की आावश्यकता है, वह आप दे दीजिये। बैंक के कागजात और चेक को देखकर विजय अग्रवाल ने उसे दस हजार रूपये के बर्तन दे दिये। अगले दिन बैंक जाने पर बैंक के कर्मचारी ने विजय अग्रवाल को चेक नकली होना बताया जिससे विजय अग्रवाल को अपने साथ ठगी होने की जानकारी हुई। शिकायतकर्ता द्वारा दिये शिकायत पत्र की जांच पर से चौकी खरसिया (थाना खरसिया) में दिनांक 08.12.18 को हीरा सिंह पिता जगत बहादुर सिंह निवासी ग्राम माधोपाली के विरूद्ध अप. क्र. 851/18 धारा 420 ता.हि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें ....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास,
रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं.
9039961090

11 दिसम्बर मतगणना के दिन रेंगालपाली-रायगढ़ मार्ग पर भारी एवं हल्के वाहनों के आवाजाही पर प्रतिबंध

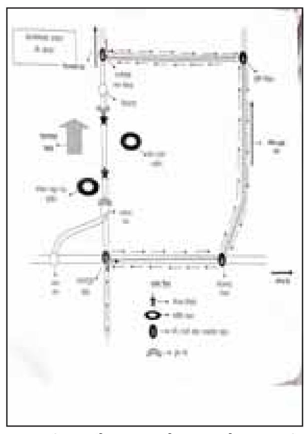

रायगढ़। जिला-दिगर जिला क्षेत्रांतर्गत निवासरत गणमान्य नागरिक, विधानसभा चुनाव प्रत्याशी, पार्टी कार्यकर्ता, भारी वाहन चालक/मालिक एवं समस्त ट्रांसपोर्टरों को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के अनुसार जिला इकाई के विधानसभा चुनाव मतगणना 11 दिसम्बर को स्थानीय शासकीय एफ. सी. आई. गोदाम गढउमरिया रायगढ़ में संपन्न किया जाना है। उक्त कार्यक्रम स्थल राष्ट्रीय राज्य मार्ग में स्थित होने से आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी रायगढ़ के आदेशानुसार रेंगालपाली-रायगढ़ मार्ग में प्रातः 5 बजे से अग्रिम आदेश तक भारी/ हल्के वाहनों के आवागमन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है तथा यातायात के सुचारू संचालन के लिए रूट चार्ट तैयार कर निम्नानुसार मार्ग डायवर्सन की व्यवस्था की गई है-

डायवर्सन पॉइंट/ मार्ग के रूप में कार्य-

नंबर 01 छातामुड़ा से रेंगालपाली होकर उड़ीसा जाने वाले सभी भारी/ हल्के वाहन छातामुड़ा चौक से डायवर्ट होकर नंबर 04 पॉइंट कोडातराई से होकर नंबर 03 पॉइंट पुसौर मार्ग होते हुए रेंगालपाली बैरियर से निकलेंगे।

नंबर 02 रेंगालपाली से छातामुड़ा होकर धर्मजयगढ़ मार्ग की ओर जाने वाले सभी भारी/हल्के वाहन रेंगालपाली बेरियर के पास से डायवर्ट होकर नंबर 03 पाइंट पुसौर मार्ग से होते हुए नंबर 04 पॉइंट छातामुड़ा चौक से निकलेंगे।

पार्किंग स्थल-

वेयर हाउस पार्किंग स्थल (केवल प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारियों के लिए)

संस्कार स्कूल जाने के मार्ग में पार्किंग व्यवस्था (मतगणना में आने वाले सभी प्रत्याशी/कार्यकर्ता/ आमजनों के लिए)

नो-एंट्री/प्रतिबंधित मार्ग-

रेंगालपाली-छातामुड़ा चौक मार्ग भारी/वाहन हल्के वाहनों के आवागमन हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित (प्रात : 5 बजे से अग्रिम आदेश तक)

फिक्स बेरियर से पूर्णतः प्रतिबंधित सभी प्रकार के वाहन (मतगणना में आने जाने वाले सभी प्रत्याशी/आम जनों के लिए)

अज्ञात शव मिलने के मामले में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध

रायगढ़। थाना लैलूंगा अन्तर्गत ग्राम कर्राहान में 8 दिसम्बर को ग्राम कर्राहान में गांव के बाहर अज्ञात पुरूष का शव मिलने के मामले में शव का पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त किया गया। घटना के संबंध में थाना लैलूंगा में दर्ज मर्ग क्रमांक 107/18 जाफौ की जांच में अज्ञात मृतक को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ठोस वस्तु से बायां आंख के भौ के पास एवं सिर में मार कर हत्या करना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 288/18 धारा 302 ता.हि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों क्रमशः सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य क्षेत्र में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO.-CHHHIN16931